तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 5726 / 2003 / बाडमेर** **डूगरा बनाम दुर्गाराम**	
19.11.20	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी श्री दुनीचन्द डिढारिया, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2002 में पारित आदेश दिनांक 22–7–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि निगराकारान/वादीगण द्वारा सहायक कलक्टर, गुडामालानी के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत एक वाद गॉव गालियार की आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बाडमेर ने उक्त वाद संख्या 367/94 दिनांक 29–5–2000 को डिक्री किया। इस निर्णय के विरुद्ध वर्तमान गैर निगराकारान की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 24–2–2001 को स्वीकार किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण/निगराकारान की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस रिव्यू प्रार्थना पत्र को राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2003 से खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि सहायक कलक्टर, बाडमेर ने वादपत्र को दिनांक 29–5–2000 को डिक्री किया था और इस निर्णय के विरुद्ध वर्तमान गैर निगराकारान की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 24–2–2001 को इकतरफा में स्वीकार किया गया है। इकतरफा निर्णय को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 5726 / 2003 / बाडमेर** **डूगरा बनाम दुर्गाराम**	
	के समक्ष जो रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें हमें सी0पी0सी0 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सम्मन जारी नहीं किये और अविधिक रुप से चस्पांगी से तामील मानी गई है। दिनांक 16.12.2000 की पेशी के लिए दिनांक 16.12. 2000 को ही चस्पांगी की गई है जो प्रथम दृष्ट्या ही तामील कुनिन्दा से मिल कर कराई गई प्रतीत होती है। न्यायालय की किसी भी आदेशिका में सम्मन जारी किए जाने बाबत् कोई आदेश नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि जब परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तार से तनकीवार विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया गया और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस निर्णय को पलटा जाता है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय करना चाहिए किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.2.2001 में इन प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.2.2001 एवं 22. 7.2003 को निरस्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार किया जाए। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से बहस में निवेदन किया कि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है और रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्हीं त्रुटियों के बारे में विचार किया जा सकता है जो स्पष्ट रुप से प्रथम दृष्ट्या अभिलेख के अवलोकन से दृष्टिगोचिर होती हों। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में विस्तार से विवेचन करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाए। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर (मुख्यालय), बाडमेर ने प्रकरण संख्या 367/94 शीर्षक डूगरा बनाम भीरया वगैरा में निर्णय दिनांक 29–5–2000 से वादीगण के वादपत्र को डिक्री किया था और इस निर्णय के विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर, मु0 जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 55/2000 प्रस्तुत होने पर अभिभाषक अपीलार्थी की इकतरफा में बहस सुन कर उन्होंने निर्णय दिनांक 24–2–2001 से अपील को स्वीकार कर सहायक कलक्टर (मुख्यालय), बाडमेर के निर्णय दिनांक 29–5–2000 को निरस्त किया। इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 01/2002 डूँगर बनाम दुर्गाराम वगैरा प्रस्तुत किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 5726 / 2003 / बाडमेर** **डूगरा बनाम दुर्गाराम**	
	जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22–7–2003 से यह मानते हुये खारिज किया गया कि पूर्व के निर्णय दिनांक 24–2–2001 में किसी प्रकार की दृष्ट्व्य त्रुटि नहीं रही है। दौराने बहस रिव्यू के जो बिन्दु उठाए गए हैं उनमें मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 24–2–2001 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया है और सम्मन जरिए चस्पांगी से तामील माने हैं जब कि न्यायालय की किसी भी आदेशिका में सम्मन जारी किए जाने बाबत् कोई आदेश नहीं दिया गया है। दिनांक 16.12. 2000 की पेशी के लिए दिनांक 16.12.2000 को ही चस्पांगी की गई है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19–1–2001 के अनुसार अंकित किया है कि रैस्पो0 संख्या 1 से 5 व 7 के सम्मन चस्पां हो कर प्राप्त हुए हैं, अतः न्यायालय रैस्पो0 की तलबी पूर्ण मानता है और इनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर, मु0 जोधपुर के अपील संख्या 55/2000 में उपलब्ध सम्मनों का अवलोकन किया गया। रैस्पो0 संख्या–1 डूगरा की तामील में अंकित किया है कि आसामी डूगरा पुत्र राणा हाल घर पर नहीं है वह बाहर गॉव ईसरोल गया हुआ है। नोटिस की एक प्रति मोतबिरान के रुबरु आबाद मकान पर चस्पा की गई । इसी प्रकार रैस्पो0 गेमरा भील की तामील में अंकित किया है कि आसामी गेमरा पुत्र राणा हाल घर पर नहीं है वह बाहर गॉव सणाऊ गया हुआ है। नोटिस की एक प्रति दो मोतबिरान के रुबरु आबाद मकान पर चस्पा की गई। रैस्पो0 कमला, मन्जू और श्रीमती मरवो इन सभी की तामील में अंकित किया गया है वे बाहर गई हैं और इन पर नोटिस चस्पां किया गया है। स्पष्ट है सिविलि प्रकिया संहिता के आदेश 5 के प्रावधानों के तहत इस प्रकार की तामील पर्याप्त तामील की श्रेणी में नहीं आती है। इससे स्पष्ट होता है भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर, मु0 जोधपुर ने अपने मूल निर्णय में उनको विधिवत रुप से तामील कराए बिना और सुनवाई किए बिना तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका प्रदान किए बिना निर्णय पारित किया है, जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः निर्णय दिनांक 24–2–2001 में स्पष्ट रुप से Error apparent on the face of record होना प्रतीत होता है और प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य रहता है। फलतः हस्तगत निगरानी सारवान प्रतीत होने से **स्वीकार** की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2002 में पारित आदेश दिनांक 22–7–2003 एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 5726 / 2003 / बाडमेर** **डूगरा बनाम दुर्गाराम**	
	अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर, मु0 जोधपुर के निर्णय दिनांक 24–2–2001 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर, मु0 जोधपुर को **प्रति प्रेषित** करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में निहित समस्त पक्षकारान को विधिवत रुप से सम्मन जारी कर विधिक तामील करावें, विधिवत रुप से सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः नियमानुकूल निर्णय इस निर्णय से 03 माह की अवधि में पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	